कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

क्रमांक / एफआरए / 2018 / 1008 दिनांक :– 13/08/18

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् जयपुर।

विषय :– एस.आर.एफ. योजनान्तर्गत मनोहरपुर से ईटावा भोपजी वाया नवलपुरा, चारणवास (एमडीआर 187) सडक निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजिाति और अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत प्रमाण–पत्र बाबत्

महोदय्

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण बाबत् ग्राम पंचायत नवलपुरा ने दिनांक 02.10.2017 को ग्राम सभा आयोजित कर उनके प्रस्ताव संख्या 06 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा अवगत करवाया है कि उक्त सड़क के निर्माण में वन अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है, तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नही है एवं न कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य / अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित नही करता हैं।

उक्त प्रस्तावों के क्रम में दिनांक 10.07.2018 को उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया (कार्यवाही का विवरण संलग्न) इसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने वनाधिकार अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 में विचार विमर्श किया गया एवं अपनी सहमति प्रदान की, कि एस.आर.एफ. योजनान्तर्गत मनोहरपुर से ईटावा भोपजी वाया नवलपुरा, चारणवास (एमडीआर 187) सडक निर्माण में प्रस्तावित वन भूमि (0.8748है0) से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है, तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नही है एवं न कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य / अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित नही करता हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के प्रमाण–पत्र देने हेतु जिला स्तर कमेटी में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना है तथा इस कमेटी में आप सदस्य सचिव है।

अतः आपसे निवेदन है कि बैठक बुलाकर प्रमाण–पत्र (FRA) जिला कलेक्टर महोदय् द्वारा जारी करवाने की कृपा करावें ताकि सड़क निर्माण इस वित्तीय वर्ष में समय से पूर्ण किया जा सकें।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

S.E. Latter 2